राजस्थान सरकार

आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक प. 25(14)आयु./2015 जयपुर, दिनांक : 21 OCT 2016

आदेश

आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं वेलनेस सेन्टर की प्रगति समीक्षा हेतु माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 26.09.2016 को स्वास्थ्य भवन, जयपुर में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार निम्न आदेश जारी किये जाते है –

1. जो आयुर्वेद औषधालय वेलनेस सेन्टर्स में स्थानान्तरित है, वे प्रातः 6.00 बजे से 8.00 बजे तक योग कक्षाएं तथा प्रातः 8.00 बजे से 12.00 बजे तक ओ.पी.डी. संचालित करेगें। शीत ऋतु में उक्त समय प्रातः 7.00 बजे से 9.00 बजे तथा 9.00 बजे से 1.00 बजे तक होगा।
2. वेलनेस सेन्टर्स पर योगाभ्यास हेतु साफ–सफाई, बिछायत व अन्य आवश्यक सुविधाएं यथा पानी, स्थान आदि की व्यवस्था प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी (निदेशक, चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य)।
3. जिला आयुर्वेद अधिकारी प्रत्येक माह में जिले के समस्त वेलनेस सेन्टर्स का निरीक्षण करेगें तथा निरीक्षण रिपोर्ट निदेशक आयुर्वेद को प्रस्तुत करेगें।
4. प्रत्येक वेलनेस सेन्टर पर औषध आपूर्ति सुनिश्चित हो।
5. वेलनेस सेन्टर पर नियुक्त समस्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी वेलनेस सेन्टर से सम्बन्धित समस्त कार्यो हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी से समन्वय रखेगें। आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा वेलनेस सेन्टर का प्रभारी चिकित्साधिकारी (प्रा.स्वा.के.) होगा। प्रभारी द्वारा वेलनेस सेन्टर्स सेन्टर्स की गतिविधियों में सहयोग प्रदान किया जायेगा।
6. आयुर्वेद चिकित्साधिकारी प्रभारी के बैठने, औषध भण्डारण कक्ष व स्टाफ हेतु पर्याप्त स्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
7. वेलनेस सेन्टर्स पर आयुर्वेद औषधालयों में आने वाले रोगियों से शुल्क नहीं लिया जायेगा।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, आयुर्वेद विभाग
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
4. निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर को प्रेषित कर निर्देश है कि उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में तत्काल आदेश/निर्देश प्रसारित करावे।
5. निदेशक, चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन जयपुर।
6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन जयपुर

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक शासन सचिव

Rahul

राजस्थान सरकार 257

निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः–प. 5/सां–2/वैल.सेन्टर/84/2016/22912 दिनांक 21.10.2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन उप सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर।
2. व्यवास्थपक राजकीय आयुर्वेद रसायनशालाऐं अजमेर।
3. समस्त उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग।
4. समस्त जिला आयुर्वेद अधिकारी आयुर्वेद विभाग को प्रेषित कर निर्देश है कि उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में तत्काल आदेश/निर्देश प्रसारित करावें।
5. प्रभारी संस्थापन शाखा/लेखा शाखा/सामान्य शाखा निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर।

(कृष्णचन्द्र शर्मा)
अति. निदेशक